

पश्चिम मध्य रेल

क.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/16



कार्यालय

महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-29.03.2016

सीआईओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय-माह फरवरी-2016 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइट में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/- 05 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (अभियोजन)
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी -2016

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
फरवरी-16	35	35	37600	37600	51	-	-

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी-16

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
फरवरी-16	0	0	0	0	0	0	0

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह फरवरी-16

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रु. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मि	आरपीएफ
फरवरी-16	35	35	37600	37600	51	-	-

रेल अधिनियम के तहत माह फरवरी-2016 में की गई कार्यवाही का विवरण :-

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना रु. में
137	2551	1176360
138	8370	3360429
139	0	0
141	316	147215
142	0	0
143	1	0
144	1037	539885
145	814	94100
146	9	5480
147	502	128500
153	0	0
154	21	161100
155	1090	94400
156	127	11150
157	0	0
159	682	121650

160	9	60500
161	0	0
162	738	54600
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	1	0
167	18	1200
172	0	0
173	0	0
174	12	29200
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	16,298	59,85,769

रेसुब./पमरे.में माह फरवरी-2016 के दौरान किये गये अच्छे कार्यों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र०	मंडल	दिनांक	कार्य का विवरण
1.	भोपाल	02. 02.16	<u>भोपाल मंडल (भोपाल पोस्ट) रेसुब. द्वारा लावारिस बच्चे को चाइल्ड लाइन को सोपने बावत्।</u> दिनांक 02.02.2016 को भोपाल स्टेशन पर प्लेटफार्म न. 04 पर रेसुब. स्टॉफ आर. बृजेन्द्र सिंह परमार को एक बच्चा मिला जो लावारिस हालत में घूमते हुए स्टेशन पर नजर आया। जिसकी उम्र करीबन 06 वर्ष है। रेसुब.स्टॉफ द्वारा बालक को रेसुब पोस्ट पर लाया। उप निरीक्षक अजित सिंह द्वारा बालक से पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम- राजविन्दर उर्फ बिट्टू निवासी औबेदुल्लागंज बताया एवं परिजनों के बारे में कोई जानकारी ना होना पाये जाने पर भोपाल चाइल्ड लाइन प्रभारी श्री शैलेन्द्र दुबे मोबाईल नं. 8878931844 को समक्ष गवाहान सुपुर्द किया गया।
2.	भोपाल	04. 02.16	<u>भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट के रेसुब. द्वारा नाबालिक लड़की को उसके परिजनो को सोंपने हेतु बावत्</u> दिनांक 04.02.2016 को भोपाल मण्डल/इटारसी पोस्ट के उपनिरीक्षक जयभारत द्वारा गाड़ी संख्या 12138 पंजाब मेल को अटेंड किया गया तो गाड़ी में तैनात स्कार्ट पार्टी ने बताया कि गाड़ी में एक लड़की रोती हुई नजर आई, जिसके पास कोई यात्रा टिकट नहीं था, वह डरी हुई एवं सहमी हुई थी।उपनिरीक्षक जयभारत द्वारा इटारसी स्टे।न पोस्ट पर बालिका को लाकर पूछताछ करने पर बालिका ने अपना नाम अंकिता पवार पुत्री श्री दिलीप पवार उम्र 17 वर्ष निवासी राहुल नगर शाहपुरा भोपाल बताया, एवं वह घर से भाग कर आई है। बालिका द्वारा बताये गये उक्त मोबाईल नं. 9753948402 पर लडकी के परिजनो से संपर्क किया गया। बाद लडकी के माता-पिता को इटारसी बुलाकर समक्ष गवाहान लडकी को सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्द किया गया।
3.	भोपाल	06. 02.16	<u>भोपाल मंडल(होशंगाबाद आउट पोस्ट)-चढ़ने के प्रयास के दौरान प्लेटफार्म व गाडी के मध्य फंसी महिला को सुरक्षित बाहर निकालना-</u> दिनांक 06.02.2016 को समय 21.45 बजे उपनिरीक्षक होशंगाबाद श्री-एस.एल.रावत द्वारा गाडी संख्या 59385 की स्कार्ट पार्टी को चैक किया खैरियत पाया। इसी दरम्यान गाडी के रवाना होने के पश्चात एक महिला जिसका नाम मीना बाई पत्नी मेहताब उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम-खलीसेवनिया, जिला छिन्दवाडा म.प्र. टिकट नं. सह-841304822 एक्स. होशंगाबाद से जामई जो चलती गाडी में चढने का प्रयास करते समय कमर तक प्लेटफार्म व गाडी के मध्य आ गई। तत्काल मौके पर उपस्थित उपनिरीक्षक द्वारा महिला को खींच कर सुरक्षित बाहर निकाला। इसी दरम्यान गार्ड द्वारा वैक्यूम डालकर गाडी को रोका गयी। बाद उपनिरीक्षक द्वारा महिला यात्री को सुरक्षित गाडी में बैठाकर सुरक्षित गतंव्य के लिये रवाना किया।
4.	भोपाल	06. 02.16	<u>भोपाल मंडल(भोपाल पोस्ट)-घर से भागे प्रेमी युगल को अभिभावक एवं पुलिस के सुपुर्द करने बाबत :-</u> दिनांक 06.02.2016 को सउनि आर.के. बोरासी महिला आरक्षक ज्योति यादव को प्लेटफार्म गस्त के दौरान संदिग्ध हालत में मिले एक लडका जिसका नाम-प्रदीप रावत पुत्र रामेश्वर रावत, उम्र-24 निवासी-ग्वालियर तथा एक लडकी जूली रावत पुत्री गब्बर सिंह,उम्र-17 जो कि घर भाग कर आये थे, पूछताछ करने पर पता चला कि थाना डबरा मे अपहरण शुदा की रिपोर्ट एफआईआर क्रमांक 80/2016 धारा 363, 366 के तहत कायम हैं। बाद सउनि द्वारा इनके अभिभावक व पुलिस को सूचना दी गई। बाद सउनि बृजेश भार्गव पुलिस थाना-डबरा को उक्त लडके को पाक-साफ

			हालत में विधिवत सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्द किया गया एवं लडकी को उसके माता-पिता गब्बर सिंह को सुपुर्दगीनामा के तहत सुपुर्द किया गया है।
5.	कोटा	06. 02.16	<p>कोटा मंडल(सवाईमाधोपुर पोस्ट)गुमशुदा नाबालिक बच्ची को अभिभावक के सुपुर्द करने बाबत-</p> <p>दिनांक 06.02.2016 को निरीक्षक रेसुब सवाईमाधोपुर को रेलवे स्टेशन सवाई माधोपुर के प्लेटफार्म नं. 01 पर दौराने गस्त समय लगभग 20.30 बजे एक नाबालिक लडकी उम्र लगभग 10 वर्ष गुमशुदा अवस्था में बैठी हुई दिखाई देने पर रेसुब महिला आरक्षक-मनीषा के सहायता से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम-सोयल मीना पुत्री महेश मीना उम्र 10 वर्ष निवासी तीन पुलिया के पास महुकला, जिला-सवाई माधोपुर राजस्थान होना बताया तथा बताया कि दिनांक 05.02.2016 को समय करीबन 05 बजे स्कूल छूटने के बाद जब वह स्कूल से अपने घर जा रही थी तो उसे चार-पांच लडके मार्शल गाड़ी में बिठा कर ले गये तथा उसे एक गोली खिलाई जिससे वो बेहोश हो गई तथा बताया कि उसे जयपुर से शॉपिंग भी करवाई उसके बाद वह दिनांक 06.02.2016 को गाड़ी पकड़कर सवाई माधोपुर आ गई। उक्त नाबालिक लडकी के द्वारा अपने पिता का मोबाईल नं. 9929296652 बताये जाने पर निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा बालिका के पिता महेश मीना को जानकारी दी गई, बालिका के पिता ने बताया कि उनकी बच्ची दिनांक 05.02.2016 को स्कूल से लैटते समय से गायब है जिसके संबंध में उनके द्वारा गंगापुर सिटी पुलिस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है बाद निरीक्षक रेसुब सवाईमाधोपुर द्वारा सिविल पुलिस गंगापुर सिटी से सम्पर्क किया गया तो पुलिस के द्वारा अ0क0 82/2016 धारा 363 भा.द.सं. दिनांक 05.02.2016 पंजीकृत होना बताया। बाद दिनांक 06.02.2016 को सिविल पुलिस कोतवाली गंगापुर सिटी से सउनि नरेश कुमार,चौकी प्रभारी महुकला व लडकी के पिता श्री महेश मीना आरपीएफ थाना सवाईमाधोपुर उपस्थित हुये। बाद उक्त बालिका को समक्ष दो गवाहन सउनि नरेश कुमार एवं लडकी के पिता महेश मीना को सुपुर्दगी पंचनामा के तहत सही सलामत सुपुर्द किया गया।</p>
6.	CSC मुख्या लय	07. 02.16	<p>(यात्री सुरक्षा हेतु विशेष चैकिंग अभियान और कार्यवाही)</p> <p>दिनांक 06.02.2015 को मुख्यालय अपराध खुफिया शाखा में कार्यरत उप निरीक्षक सरिता बघेल, सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह मुड़िया एवं मुसुआ रिजर्व में कार्यरत उप निरीक्षक निधि चौकसे द्वारा हमराह स्टाफ के साथ कटनी स्टेशन पर यात्री सामान की चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु औचक रूप से विशेष चैकिंग की गई। कटनी स्टेशन के सभी आउटरों पर रात्री पेट्रोलिंग व यात्री गाड़ियों की चैकिंग सुनिश्चित की गई। चैकिंग के दौरान यात्री में बिना उचित कारण के एसीपी करने वाले 01 व्यक्ति को मौके पर पकड़ने के साथ-साथ स्टेशन ऐरिया से 10 अनाधिकृत व्यक्तियों को खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ कर अभियोजन कार्यवाही हेतु कटनी पोस्ट में सुपुर्द किया गया। उक्त दल में प्रधान आरक्षक जे.के.पाण्डेय, पी.एल.करयाम, आरक्षक संदीप तिवारी, विनोद यादव व महिला आरक्षक मनीषा झारिया, सीता कुरील, वंदना जायसवाल सम्मिलित थी।</p>
7.	भोपाल	08. 02.16	<p>भोपाल मण्डल/भोपाल पोस्ट के रेसुब. द्वारा अज्ञात बैग को उसके मालिक को सुपुर्द करने हेतु बावत्।</p> <p>दिनांक 08/02/16 को भोपाल पोस्ट पर समय करीबन 00/15 बजे फोन 9826410522 से एक यात्री सुरेन्द्र सेठी द्वारा सूचना दी गई की गाडी न 12406 गोंडवाना एक्स में दिल्ली से बीना की यात्रा कर रहा था कोच नं. एस 04 बर्थ नं. 12 की सीट के नीचे उसका एक कार्टून पुट्टे का जिसमें कण्डेंसर रखे है, छूट गया है कृपया मिले तो उतार ले, उक्त गाडी को सहा उप निरी0 एस के भार्मा व आ0 डी के चक्रवर्ती द्वारा अटैण्ड किया गया और उक्त यात्री के कार्टून को उतारकर उसके द्वारा</p>

			भेजे गये प्रतिनिधि को चेक कराकर सुपुर्दगी में दी गई।
8.	<u>भोपाल</u>	10. 02.16	भोपाल मंडल (भोपाल पोस्ट)-घर से भागे पाँच लावारिस बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर को सुपुर्द करने बाबत- दिनांक 10.02.2016 को इटारसी से बीना तक ट्रेन स्कार्टिंग ड्रियटी पर तैनात पार्टी इंचार्ज आरक्षक सत्यपाल सिंह, इटारसी यार्ड साथ हमराह तीन आर.पी.एस.एफ स्टाफ ट्रेन नंबर-11072 कमायनी एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान लावारिश स्थिति में पाये जाने वाले पाँच नाबालिक बच्चों क्रमशः-(1) कमलेश पुत्र रामप्रधान उम्र-15 वर्ष (2) रजनीश पुत्र रमेश प्रजापति उम्र-14 वर्ष (3) सानू पुत्र राम उम्र-13 वर्ष (4) सतीश पुत्र गुरीशाह उम्र-12 वर्ष एवं (5) अनिल पुत्र काशी उम्र-12 वर्ष से पूछताछ किया सभी ने निवास-गाँव व पोस्ट-बीडा,थाना-चिनारिया, जिला-रीवा होना बताया तथा परिजन संपर्क नंबर-7583892615 व 8085781649 बताया। उक्त पार्टी इंचार्ज के द्वारा निरीक्षक भोपाल को सूचित कर उक्त पाँचों बच्चों को अग्रिम कार्यवाही हेतु मय तहरीर भोपाल पोस्ट पर सुपुर्द किया गया। भोपाल पोस्ट से सउनि राजकुमार बौरासी द्वारा उपरोक्त नंबरों पर संपर्क करके उनके परिजन का सूचित किया गया, परंतु उक्त बच्चों के परिजनों ने तत्काल आने में असमर्थता व्यक्त किया। अतः उक्त सउनि द्वारा उक्त पाँचों बच्चों को विधिवत् कार्यवाही करते हुये चाइल्ड केयर लाइन, भोपाल को सुपुर्द किया गया। उक्त ट्रेन-स्कार्टिंग पार्टी एवं सउनि आर. के.बौरासी.भोपाल पोस्ट के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।
9.	<u>कोटा</u>	10. 02.16	कोटा मंडल(शामगढ़ पोस्ट)-घर से भागे हुये बच्चे को उसके परिजन को सुपुर्द करने बाबत- दिनांक 10.02.2016 को घर से भागे हुये बच्चे को गाड़ी संख्या 19037 (अवध एक्सप्रेस)में लावारिस हालत में पाये जाने पर प्रधान आरक्षक आईदन राम के द्वारा बालक से पूछताछ किये जाने पर उसने अपना नाम व पता-संतोष पिता-रामचंद्र उम्र-10 साल, निवासी भीमाखेड़ा, थाना महिदपुर, जिला-उज्जैन बताते हुये घर से भागने का कारण स्कूल ना जाने की वजह से मां के द्वारा डांट-फटकार लगाया जाना बताया।उक्त प्रधान आरक्षक के द्वारा जरिये सिविल पुलिस थाना महिदपुर उक्त बच्चे के पिता रामचंद्र को सूचित करके उनकी उपस्थिति रेसुब आउट पोस्ट शामगढ़ होने पर उन्हे उक्त बच्चे को सुपुर्द किया गया।
10.	<u>कोटा</u>	10. 02.16	कोटा मंडल(कोटा पोस्ट)-लावारिस बालक को चाइल्ड केयर सेंटर के सुपुर्द करने बाबत- दिनांक 10.02.16 को गाड़ी 12475 हापा-जम्मुतवी स्वराज एक्स में दो लावारिस बालक होने की सूचना जरिये कोच कंडक्टर, रेसुब पोस्ट कोटा पोस्ट को मिलने पर उक्त गाड़ी के समय 22.15 बजे कोटा स्टेशन आगमन पर सउनि बीरबलसिंह ने अटेन्ड किया गया उक्त दोनो ही नाबालिको को संरक्षा में लेते हुये पूछताछ किया तो उन्होने ने अपना नाम व पता क्रमशः (1) राज चौधरी उम्र 11 साल निवासी गोविन्द नगर खारचा इंदौर म.प्र., (2) नवीन सुसनीया उम्र 10 साल निवासी-गोविन्द नगर खारचा इंदौर म.प्र बताया एवं कोई संपर्क नंबर नही बताया। बाद सउनि द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुये उक्त दोनो बच्चों को चाइल्ड लाइन कोटा को सुपुर्द किया।
11.	<u>जबलपुर</u>	15. 02.16	जबलपुर मंडल (जबलपुर पोस्ट):- रेसुब.द्वारा लावारिस बच्चे को चाइल्ड केयर सेन्टर को सुपुर्द करने बाबत दिनांक 15.2.2016 को जबलपुर स्टेशन पर दौराने गस्त प्लेटफार्म नं 01 पर रेसुब. स्टॉफ उनि गोपाल मीणा को एक बच्चा उम्र लगभग 5 वर्ष लावारिस हालत में नजर आया। उक्त बच्चे को संरक्षण में लेकर पूछताछ किया गया। उक्त बालक ने अपना नाम-शफीक पिता कलाम निवासी भोपाल बताया। उक्त संबंध मे डिप्टी एस.एस जबलपुर द्वारा स्टेशन पर उद्घोषणा करवाई गई लेकिन कोई यात्री उसे लेने नही

			आया एवं परिजनों के बारे में कोई जानकारी ना होना पाये जाने पर 1098 पर संपर्क करके उक्त बालक को चाइल्ड केयर सेन्टर को सुपुर्द किया।
12.	जबलपुर	16. 02.16	जबलपुर मंडल(जबलपुर पोस्ट)-यात्री द्वारा बैग गुम होने की सूचना दिये जाने पर रेसुब की सक्रियता से बैग को सुपुर्दगीना में के तहत सुपुर्द करने बाबत- दिनांक 12.02.2016 को गाड़ी संख्या 12122 म.प्र.संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कोच नंबर-बी-4 बथ नंबर-26 निजामुद्दीन से जबलपुर कर रहे यात्री सुरेश परचनी के द्वारा उनका बैग गुम होने की सूचना रेल सुरक्षा बल/जबलपुर के सउनि महेश प्रसाद मिश्रा को दिये जाने पर सउनि द्वारा तत्काल अपनी कार्यकुशलता एवं सक्रियता से बैग का पता कर यात्री को सुपुर्दगीनामें के तहत सुपुर्द किया गया। सउनि महेश प्रसाद मिश्रा द्वारा बरती गई कार्यकुशलता एवं सक्रियता को उक्त यात्री द्वारा काफी सराहा गया है।
13.	भोपाल	16. 02.16	भोपाल मंडल:-भोपाल स्टेशन पर मिले लावारिस बैग को सुपुर्दगीनामें के तहत सुपुर्द करने बाबत- दिनांक 16.02.2016 को निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, भोपाल रिजर्व हमराह सउनि चंदन सिंह एवं आरक्षक पूरनलाल के भोपाल स्टेशन पर गस्त के दौरान एक ब्राउन कलर का ट्राली बैग संदिग्ध एवं लावारिस हालत में दिखायी देने पर निरीक्षक द्वारा तत्काल श्वान दस्ता के माध्यम से बैग को चेक कराया, कोई संवेदनशील विस्फोटक वस्तु नहीं होने का संकेत डॉग द्वारा दिये जाने पर दो गवाहान उक्त बैग को खोलकर मौका पंचनामा तैयार किया गया। इसी दरम्यान मौके पर एक व्यक्ति उपस्थित होकर अपना नाम-प्रवीण लखेरा उम्र 25 वर्ष, बताते हुये उक्त बैग के संबंध में उसके जीजा-धर्मेन्द्र पुत्र नाथूराम निवासी- लखेरापुरा भोपाल, ट्रेन नं. 19714 बर्थ 41 एवं 42 कोच संख्या-एस/6 जो भोपाल से जयपुर की यात्रा करने जा रहे थे, के द्वारा भोपाल स्टेशन पर छूट गया होना बताया। बाद तथ्यों की पुष्टि होने पर निरीक्षक द्वारा सुपुर्दगनामे के तहत उक्त बैग को प्रवीण लखेरा के सुपुर्द किया गया।
14.	कोटा	18. 02.16	कोटा मण्डल/ भरतपुर पोस्ट :-रेसुब. द्वारा गाड़ी सं. 12987 सियालदह एक्सप्रेस से यात्री सामान चोरी कर भागते हुए आरोपियों को पकड़कर जीआरपी भरतपुर को सुपुर्द करने बाबत। दि. 18.02.16 को कोटा मण्डल/भरतपुर पोस्ट, एलसी गेट नं. 40 पर ड्यूटी पर तैनात उपनि श्री पवन कुमार शर्मा मय आरक्षक श्री बदन सिंह द्वारा समय लगभग 03.30 बजे गाड़ी सं. 12987 डा. सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस धीमी गति से पास होते समय कोच नं. एस/10 से चलती गाड़ी से दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में उतरकर भागते हुये नजर आये। जिनको पकड़कर पूछताछ एवं तलाशी ली गयी। जिसमें 1. एक व्यक्ति कें पास लाल व सफेद रंग का रेगजीन का लेडिज पर्स था, जिसमे दो जोड़ी सोने के टॉप्स व एक जियोनी मोबाईल एल-700 काले रंग सिम नं. 8107051014, मंजू देवी नाम का एक आधार कार्ड नं. 404378853177 व नगद 1,000/-रूपये मिले। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम-सोनू पुत्र विजेन्द्र सिंह उम्र-21वर्ष जिला-मथुरा बताया। 2.दूसरे व्यक्ति द्वारा अपना नाम-दिगम्बर उर्फ शेखर पुत्र भगवान सिंह 20वर्ष साल ,थाना-फतेहपुर सीकरी, जिला-आगरा बताया व तलाशी लेने पर उसके पास एक छोटा लेडिज पर्स मिला, जिसमें एक जोड़ी सोने के टॉप्स व नगद 2,200/-रूपये, एक भारत निर्वाचन आयोग का मंजू कुमारी का पहचान पत्र, मंजू कुमारी का पैन कार्ड एवं एक रेल टिकिट मिला। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा उक्त सामान उक्त गाड़ी सं. 12987 के स्लिपर कोच से एक महिला यात्री से अछनेरा-भरतपुर कें मध्य चोरी करना स्वीकार किया गया। दोनों आरोपियों को बरामद यात्री सामान के साथ मय तहरीर जीआरपी थाना भरतपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 20/2016 धारा 380 भादसं दि. 18.02.16 कायम कर मामला जांच में लिया गया।

15.	कोटा	19. 02.16	<p><u>कोटा मण्डल/ भरतपुर पोस्ट:-रेसुब. द्वारा लावारिस बच्चे को परिवार जनो को सोपने बाबत।</u></p> <p>दिनांक 19.02.2016 को भरतपुर स्टेशन पर प्लेटफार्म पर दौराने गस्त समय 11:00 बजे रेसुब. स्टॉफ उनि पवन कुमार शर्मा को एक बालक लावारिस हालत में प्लेटफार्म पर बैठा नजर आया। जिसकी उम्र-11 वर्ष है। बालक को पोस्ट लाकर उनि पवन कुमार शर्मा द्वारा पूछताछ करने पर बालक ने अपना नाम-सूरज मीना पुत्र श्री रामजी लाल मीना, जिला-जयपुर बताया एवं बताया कि बांदीकुई में मामा जी रहते है, वहां स्टेशन पर घुमने आया था, एवं रेल गाडी आने पर बैठ गया। बालक द्वारा बताये गये फोन नं. 8505002640 पर उसके पिता से संपर्क किया गया। बाद बालक के पिता श्री रामजीलाल व मामा श्री रामकरण पोस्ट पर उपस्थित होने पर सुपुर्दगीनामा के तहत बच्चे को उसके पिताजी को सुपुर्द किया गया।</p>
16.	भोपाल	21. 02.16	<p><u>भोपाल मंडल(इटारसी पोस्ट)-बैगेज/लगेज स्केन मशीन की उपयोगिता को सिद्ध करते हुये रेसुब स्टाफ द्वारा देशी कट्टा व 03 जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने बाबत-</u></p> <p>दिनांक 21.02.2016 को इटारसी स्टेशन के मुख्य द्वार में स्थापित लगेज/बैगेज स्केनर मशीन पर डियूटी हेतु तैनात आरक्षक रावेन्द्र कुमार एवं आरक्षक समशेर आलम द्वारा एक व्यक्ति बिना बैग को स्केन किये जाने पर उसे रोककर बैग स्कैन किया गया। स्कैनिंग के दौरान उस बैग में एक देशी कट्टा व 03 जिंदा कारतूस बरामद कर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मामले में जीआरपी इटारसी द्वारा अ.क. 105/16 दिनांक 21.02.16 को अंतर्गत धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इस सराहनीय कार्य हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा 1000/- का सामूहिक पुरस्कार प्रदान किया गया।</p>
17.	भोपाल	22. 02.16	<p><u>भोपाल मंडल (इटारसी पोस्ट)-बर्थ पर छूटी हुई सोने की अंगूठी को यात्री के सुपुर्द करने बाबत-</u></p> <p>दिनांक 22.02.2016 को समय 10.00 बजे गाड़ी क्रमांक 11463 राजकोट एक्सप्रेस के भोपाल स्टेशन से रवाना होने के उपरांत प्लेटफार्म डियूटी पर कार्यरत आरक्षक अजय सिंह कछवाहा को एक यात्री नाम-गिरिराज सिंह झाला उम्र 31 वर्ष निवासी-बी-97 नीलगिरी सोसाईटी, बरवा अहमदाबाद, पीएनआर नं. 8244787148 एक्स अहमदाबाद से भोपाल ने बताया कि ट्रेन नं. 11463 में कोच एस-9 की बर्थ 9 पर यात्रा कर रहा था, भोपाल स्टेशन पर उतरते समय उसके बैग में से 01 नग सोने अंगूठी वजन करीबन 14 ग्राम, उक्त बर्थ पर ही गिर गयी है। यात्री द्वारा दी गई उक्त सूचना पर आरक्षक अजय सिंह कछवाहा द्वारा अगले के रेसुब पोस्ट इटारसी में कार्यरत प्रधान आरक्षक ओ. पी.झारिया को सूचित किया गया। उक्त सूचना पर प्रधान आरक्षक ओ.पी.झारिया द्वारा गाड़ी के इटारसी स्टेशन पहुँचने पर प्र.आर. ओ.पी.झारिया द्वारा गाड़ी को अटैंड करने उक्त बर्थ के आसपास चैक किया गया तो सोने की अंगूठी मिल गई, जिसकी सूचना उक्त यात्री को देकर सोने की अंगूठी यात्री सौंपी गई। उक्त सराहनीय कार्य के लिये मुसुआ/पमरे द्वारा बल सदस्यों को 1000/- रुपये का सामूहिक पुरस्कार प्रदान किया गया है।</p>
18.	भोपाल	23. 02.16	<p><u>भोपाल मंडल(गुना पोस्ट) आरपी(यूपी) एक्ट के स्थायी वारंट के आरोपी की गिरफ्तारी बाबत-</u></p> <p>दिनांक 23.02.2016 को गुना पोस्ट के उपनिरीक्षक जी.एल. मीणा एवं आरक्षक मो. यूसुफ द्वारा धारा-3 रेल सम्पत्ति(विधि विरुद्ध)कब्जा अधिनियम के तहत गुना पोस्ट में दर्ज अपराध क्रमांक-18/2012 के स्थाई वारंट के आरोपी-राजेश परिहार को अपने विवेक कुशलता एवं सुरागपतारसी के माध्यम से गिरफ्तार न्यायलय में पेश किया गया।</p>

19.	भोपाल	23. 02.16	<p>भोपाल मंडल(गुना पोस्ट) आरोपी(यूपी) एक्ट में न्यायलय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के आरोपी की गिरफ्तारी बाबत—</p> <p>दिनांक 23.02.2016 को गुना पोस्ट के सउनि राजवीर सिंह एवं आरक्षक मोहित द्वारा धारा-3 रेल सम्पत्ति(विधि विरुद्ध)कब्जा अधिनियम के तहत गुना पोस्ट पर दर्ज अपराध क्रमांक-08/2013 में फरार आरोपी के विरुद्ध जारी न्यायलय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में फरार आरोपी-संतोष धाकड़ को गिरफ्तारी कर वारंट तामील किया गया।</p>
20.	भोपाल	24. 02.16	<p>भोपाल मंडल(गुना पोस्ट)- गर्भवती महिला यात्री की सहायता-</p> <p>दिनांक 24.02.2016 को गाडी संख्या 19167 साबरमती एक्स के पचौर स्टेशन से थ्रू पास होते समय अचानक कोच नं. डब्ल्यूआर-992031 से एसीपी हुई। उसी गाडी में सउनि/शाजापुर संजय कुमार शुक्ला मय स्टाफ के सेक्शन गस्त हेतु मौजूद थे। सउनि द्वारा तत्काल एसीपी प्रभावित कोच एस-7 को अटेंड किया गया तो पता चला की बर्थ नं. 50,51,53 पर अपने पति के साथ यात्रा कर रही महिला यात्री श्रीमती सुनीता पति श्री कमलेश उम्र 28 वर्ष पीएनआर नं. 8740823248 एक्स ADI to JNU निवासी मौकलपुर, जिला जौनपुर (उ.प्र.) जो कि गर्भवती थी, को अचानक पेट में तेजी से दर्द होने पर अन्य महिला सहयात्रियों के द्वारा डिलेवरी करायी गई। सउनि संजय कुमार शुक्ला द्वारा तत्काल डिप्टी एसएस पचौर के माध्यम से अगले स्टेशन पर चिकित्सीय सहायता हेतु सूचना दी गई। बाद गाडी के व्यावरा राजगढ स्टेशन पहुँचने पर एम्बुलेंस 108 के डॉक्टर द्वारा को महिला को अटैण्ड किया तथा डॉक्टर द्वारा जच्चा-बच्चा को स्वस्थ बताया गया।</p>
21.	भोपाल	24. 02.16	<p>जबलपुर मंडल(सतना पोस्ट)- यात्री परिसर से मोबाईल चोरी करने वाले की गिरफ्तारी:-</p> <p>दिनांक 24.02.2016 को सतना रेलवे स्टेशन सरकुलेटिंग एरिया में दौरान गस्त उपनिरीक्षक राहुल रावत एवं प्रधान आरक्षक अमरेश मिश्रा को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखायी देने पर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम व पता-राज आत्मज सुमेश्वर उम्र-32 निवासी-धवारी, सतना म.प्र. होना बताया। जिसकी समक्ष गवाहन तलाशी लिये जाने पर एक लावा कंपनी का मोबाईल मिला, जिसके बारे में पूछने पर उक्त व्यक्ति के द्वारा सतना रेलवे स्टेशन के सुलभ शौचालय से चोरी करना स्वीकार किया। बाद उपनिरीक्षक राहुल रावत द्वारा पकड़े गये उक्त व्यक्ति को अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी सतना के सुपुर्द किया गया। जीआरपी सतना द्वारा आरोपी उक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक-17/53/2016 धारा 379 आई.पी.सी. के तहत दर्ज कर विवेचना में लिया गया।</p>
22.	कोटा	25. 02.16	<p>कोटा मण्डल/ कोटा पोस्ट :- रेसुब. द्वारा घर से भागी हुयी लड़की को नारी निकेतन कोटा को सुपुर्द करने हेतु बावत।</p> <p>दिनांक 25.02.2016 को समय 10.58 बजे रेसुब.कोटा पोस्ट उनि.राजीव एवं प्रआर. सी. एस.चौधरी, महिला आरक्षक हेमलता द्वारा दौरान गस्त सामान्य कोच 13434 को अटैण्ड किया गया। कोच पर एक लड़की को देखने पर संदेह होने पर लड़की से पूछताछ करने पर बताया कि वह घर से भाग कर आयी है। रेसुब.स्टॉफ द्वारा लड़की को कोटा पोस्ट लाकर पूछताछ करने पर अपना नाम-सोनी कुमारी पुत्री गोवर्धन सोनी उम्र 19 साल नि. बरगर जिला सम्बलपुर (उड़ीसा) बताया। अपने पति से झगड़ा होने के कारण गुस्से में घर से भागकर आना बताया बाद उनि.राजीव एवं प्रआर.सी.एस.चौधरी, महिला आरक्षक हेमलता के द्वारा महिला को साथ ले जाकर श्रीमान एसडीएम कोटा के समक्ष पेश किया। जिसे नारी निकेतन भेजने के आदेश प्रदान करने पर नान्ता कोटा के नारी निकेतन फोन नं. 0744-2371184 के अधीक्षक को सकुशल सुपुर्द किया गया।</p>

23.	कोटा	25. 02.16	<p>कोटा मण्डल/ कोटा पोस्ट:-रेसुब. द्वारा घर से भागे हुये लड़के को जीआरपी कोटा को सुपुर्द करने हेतु बावत्।</p> <p>दिनांक 25.02.2016 को समय 21.15 बजे रेसुब.कोटा पोस्ट उनि. यागेन्द्र शर्मा को दौराने गस्त वीआईपी गेट के पास पीएफ 01 पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था जैसी हालत में लेटा हुआ दिखाई दिया। उसे हिलाकर जगाया तो पूछने पर अपना नाम-कृष्णकान्त शर्मा पुत्र राजेन्द्र भार्मा उम्र 17 साल नि. म. नं. 40 नजफगढ दिल्ली बताया तथा घर से भागकर आना बताया, बाद उसके द्वारा बताये गये मोबाईल नं. 9312905310 पर उसके पिता से सम्पर्क किया तो पिता द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 19.02.2016 से घर से गायब है जिसकी गुमशुदा की रिपोर्ट सिविल पुलिस थाना शालीमारबाग दिल्ली में गुमशुदगी रिपोर्ट 195/2016 दर्ज है। बाद जीआरपी कोटा को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।</p>
24.	कोटा	27. 02.16	<p>कोटा मण्डल/कोटा पोस्ट:- रेसुब. द्वारा लावारिस मोबाईल को मोबाईल मालिक को सुपुर्द करने हेतु बावत्।</p> <p>दिनांक 27.02.2016 को रेसुब. भरतपुर पोस्ट प्र.आर. मोहन सिंह मीना साथ आर. देवीचरन व आरक्षक केशव कुमार, गाडी सं. 12060 की स्कॉर्टिंग ड्यूटी में भरतपुर से कोटा तक तैनात थे। गाडी के सवाईमाधौपुर स्टेशन से रवाना होने के पश्चात गस्त के दौरान सुरक्षा पार्टी को कोच नं. सी/3 में बर्थ नं. 32,33 पर एक लावारिस मोबाईल मिला, आस पास के यात्रियों से पुछताछ करने पर बताया कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक बैठे हुए थे जो भरतपुर से बैठे थे और सवाईमाधौपुर उतर गये, बाद लावारिस मोबाईल पर मो0न0 9818648375 से कॉल आया और बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम मयंक, गाईड बताया व विदेशी पर्यटक का मोबाईल होना बताया। प्र.आर. मोहन सिंह मीना द्वारा गाईड को बताया गया कि हम गाडी सं. 12964 से वापस सवाईमाधौपुर आयेगे। गाडी 12964 से सवाईमाधौपुर आने पर गाईड मयंक के साथ प्र.आर. राजेन्द्र सिंह आये। गाईड मयंक के सामने प्र.आर. राजेन्द्र सिंह, सवाईमाधौपुर को मोबाईल सुपुर्द किया। जिसे उपनिरीक्षक महेश चन्द मीना द्वारा मोबाईल मालिक को सुपुर्द किया गया।</p>
